

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म० प्र०) - 482 001

दूरभाष-0761-2624341, ई-मेल ccf.jbp@mp.gov.in

क्र०/मा०चि०/
प्रति,

5988

जबलपुर, दिनांक 18/08/2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)

म०प्र० भोपाल ।

विषय :-

जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे० (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 एवं वनमण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे०) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर म०प्र० को उपयोग पर देने बावत् (FP/MP/WATER/50101/2020)

संदर्भ :-

आपका पत्र पृ० क्र०/एफ-3/95/2020/10-11/8/301 दिनांक 15.01.2025

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा आवेदक संस्था से 12 बिन्दुओं पर जानकारी ऑन लाईन अपलोड करते हुये जानकारी चाही गयी थी । आवेदक संस्था द्वारा उनके पत्र क्रमांक/910/न.परि./तक/2025 दिनांक 8.07.2025 से वनमण्डलाधिकारी, डिण्डौरी को संबोधित पत्र में लेख किया गया है कि बिन्दुवार जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है । वनमण्डलाधिकारी द्वारा उक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं जो आपकी ओर संलग्न संप्रेषित हैं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(कमल अरोरा, भा०व०से०)

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18/08/2025

पृ० क्र०/व्यय/

5989

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी की ओर उनके पत्र क्रमांक/ क्रमांक/ मा०चि०/725 दिनांक 4.08.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

18/8/25

ok

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07644- 234400 (R) 07644-234066 (FAX) 07644 - 234024 PIN 481880, E-mail- dfotddori@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 725
प्रति,

डिण्डौरी दिनांक 4 / 8 / 2025

✓ वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

विषय :-

जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे० (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे० एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे०) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/WATER/50101/2020)

संदर्भ :-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 032/2023-बीएचओ, दिनांक 22.12.2023
- 2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल का पृ०क्रमांक/एफ-3/95/2020/10-11/8/301 भोपाल दिनांक 15.01.2024
- 3- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक का पत्र क्र./910/न०परि०/तक/2025 दिनांक 08.07.2025

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा आवेदक संस्थान एवं वन विभाग से 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र क्र. 03 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दुओं की पूर्ति कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। वन मंडल स्तर से चाही गई जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है :-

क्र०	चाही गई जानकारी	रिमार्क
1	The proposed proposal comes under Bio.Sphere Reserve Area. Recommendation comments shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 02 से 66 तक संलग्न है।
2	KML file of Alternative alignments shall be submitted. uploaded on webportal.	Alternative alignments की के.एम.एल. फाईल आवेदक संस्थान द्वारा पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
3	Justification for location of the project shall be submitted, uploaded.	Justification पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।
4	No objection certificates of concerned departments (Road, TL, WRD etc) shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 67 में संलग्न है।
5	Muck disposal Scheme shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 68 में संलग्न है।
6	Administrative approval Sanction letter of the project shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 69 से 87 तक संलग्न है।
7	Number of trees proposed in FRL, FRL.2 FRL.4 shall be submitted	पृष्ठ क्र० 88 से 94 तक संलग्न है।
8	The proposed non. forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified	पृष्ठ क्र० 100 में संलग्न है।
9	Catchment Area I reatment Plan shall be submitted.	पृष्ठ क्र 95 में संलग्न है। (पृथक से Catchment Area I reatment Plan shall be submitted संलग्न है।
10	FRA certificate needs to be submitted.	पृष्ठ क्र० 96 में संलग्न है।

11	The proposal involved vicinity of areas and structures having cultural importance and it is to be constructed in biosphere reserve so prior discussing the proposal in REC, it is better to get a detailed technical report on the socio.cultural impacts of constructing the proposed reservoir along with impacts over adjoining wildlife.	पृष्ठ क्र० 97 से 98 तक संलग्न है।
12	The Noc of local habitants.villagers for the project shall be submitted.	पृष्ठ क्र० 99 में संलग्न है।
13	In general the submergence area does not required felling of trees. The proposal involved felling of 3178 trees therefore. comments from the DFO shall be submitted in this regard.	पृष्ठ क्र० 100 में संलग्न है।
14	The cost benefit analysis in proescribed format required to submit.	आवेदक के पार्ट 1 के बिन्दु क्र 6 में cost benefit analysis report पूर्व से अपलोड है।

पृ०क्र०/मा.चि./ 726

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर सामान्य की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक की ओर सूचनार्थ।

(पुनीत सोनकर)
भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

डिण्डौरी दिनांक 4 / 8 / 2025

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

दो बिन्दु वनमण्डल डिण्डौरी से संबंधित है, का प्रतिवेदन

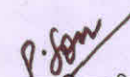
8. The proposed non. forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified

प्रकरण में वन मण्डल अूनपुर में 3.418हे० एवं वन मण्डल डिण्डौरी में 14.00 हे० कुल 17.418हे० वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली वनभूमि के विरुद्ध आवेदक संस्थान ने निम्नानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध कराई गई है।

क्र	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	रकबा हे.में	भूमि की नोईयत	कलेक्टर जिला अूनपुर का आदेश क्र	रिमार्क
1	अमरकंटक	अमरकंटक	15.419 खसरा नं. 3694/1/1 391/1 392/1	राजस्व भूमि	0022/अ-20(3) 2022-23 दिनांक 04.04. 2023	आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम अमरकंटक में 15.419हे. गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई है।
2	राजेन्द्रग्राम	बघार	5.00हे० वनभूमि कक्ष क्र पी.एफ. 190	वनभूमि		प्रकरण में कुल 17.418हे० वनभूमि प्रभावित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध 15.419हे० राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु ग्राम अमरकंटक में उपलब्ध कराई गई है। शेष 1. 999हे० के विरुद्ध 5.00हे० की वनभूमि पर वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।

13. In general the submergence area does not required felling of trees. The proposal involved felling of 3178 trees therefore. comments from the DFO shall be submitted in this regard.

प्रकरण में वन मण्डल डिण्डौरी में 14.00हे० वनभूमि में 2568 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित बांध में प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई की जावेगी, जो वृक्ष डूब क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगी उन वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी